



F.42(504)/NRHM/H&WC/CHO-2020-21/1114


दिनांक-20.10.2021

आदेश

राजस्थान में दिनांक 20.09.2021 से BPCCHN कोर्स कर रहे निम्नांकित सीएचओ अभ्यर्थियों के स्वयं के आवेदन के आधार पर इन्हे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण छोड़ने तथा आवंटित कॉलेज में जमा मूल दस्तावेज लौटाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	रोल नम्बर	नाम	आवंटित संस्थान का नाम	AIIMS का स्थान
1	624764	दुर्गेश कुमारी	एनएनएमटीसी अमरसर, जयपुर	देवगढ़
2	603242	यतेन्द्र सिंह सोलंकी	रामी देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, टोक	भुवनेश्वर
3	615962	महेन्द्र कुमार मीणा	रामी देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, टोक	रायबरेली
4	201338	मुमताज काठात	जीकॉन, अजमेर	नई दिल्ली
5	201516	रेणु जाँगिड़	जीएल सैनी कॉलेज, जयपुर	बठिंडा

नोट :- इन अभ्यर्थियों का भविष्य में सीएचओ सविंदा पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।


(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क०
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

F.42(504)/NRHM/H&WC/CHO-2020-21/1114

दिनांक-20.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एनएचएम।
5. रजिस्ट्रार आरयूएचएस।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मूल दस्तावेज उनको लौटाकर सूचित करें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम